सं०सं०–1 / प्र0नर्स–03 / 2017– 95(1)80

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

पटना, दिनांक– 8 / 2 / 2018

विषयः– प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते, कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल रु0 23,09,000/–(रुपये तेईस लाख नौ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया के पत्रांक–91, दिनांक–20.09.2017 एवं अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया के पत्रांक–1173 दिनांक–31.10.2017 के आलोक में प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते, कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल रु0 23,09,000/–(रुपये तेईस लाख नौ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण प्रदान की जाती है–

प्राथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन	प्रभावती अस्पताल, गया को वर्तमान आवंटन	एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया को वर्तमान आवंटन	वर्तमान संयुक्त आवंटन	कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
0012.01.01 वेतन	22712000	20650000	0	800000	800000	21450000	1262000
0012.01.03 जीवन यापन भत्ता	29752000	24057000	0	1220000	1220000	25277000	4475000
0012.01.04 मकान किराया भत्ता	4456000	3130000	0	40000	40000	3170000	1286000
0012.01.05 परिवहन भत्ता	710000	597000	0	30000	30000	627000	83000
0012.01.06 चिकित्सा भत्ता	210000	191000	0	2000	2000	193000	17000
0012.01.07 अन्य भत्ता	120000	107000	0	2000	2000	109000	11000
योग– वेतन एवं भत्ते	**57960000**	**48732000**	**0**	**2094000**	**2094000**	**50826000**	**7134000**
0012.13.01 कार्यालय व्यय	630000	515000	115000	0	115000	630000	0
0012.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1200000	900000	100000	0	100000	1000000	200000
कुल योग–	**59790000**	**50147000**	**215000**	**2094000**	**2309000**	**52456000**	**7334000**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06, 96/वि0(2) दिनांक–09.01.08 सह–पठित संकल्प संख्या–2190/वि0(2) दिनांक–17.03.08, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक–18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

क्रमशः

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया एवं अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान– 105–एलोपैथी–0012–प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प्र0नर्स–03/2017– 95(1)४0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 8 / 2 /2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव